न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 143/2020 (2020/00507) दर्ज दिनांक 15.10.2020

वाद– अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. राजेश कुमार पुत्र मदन लाल बियाणी जाति महाजन निवासी सदर बाजार, दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रामेश्वर लाल पुत्र उगमा जाट निवासी पालड़ी तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गजेन्द्रपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती चंद्रकंवर पत्नि ऊंकार सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. प्रियंका पुत्री भगवान सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नि भगवान सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. ब्रजपाल सिंह पुत्र भगवान सिह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्रीमती गाया कंवर पुत्री भंवर सिंह राजपूत पत्नि श्री कौशल सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल बड्डू तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. श्रीमती सूरज कंवर पत्नि भंवर सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. श्रीमती घीसू कंवर पत्नि गणपत सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगण [illegible]
[illegible] सरकार

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः–143/2020 (2020/00507)
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

दिनांक 09.04.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम सरहद भूणास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 100 में अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 2499 रकबा 0.53 हे0, आराजी नं0 2500 रकबा 0.43, कुल किता 02 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि स्थित है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 09 के पति श्री गणपत सिंह द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात को वादीगण को दिनांक 14 जुलाई 2017 को सप्रतिफल विकय कर कब्जा सिपुर्द किया गया, जिस पर वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। गणपत सिंह का देहान्त हो चुका है, जिसके वारीस प्रतिवादी संख्या 09 है।

यह कि वादीगण कय की दिनांक से वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा उक्त विकय पत्र निष्पादन होने के पश्चात नामान्तरकरण हेतु पटवार हल्का को प्रति दी गई। जिस पर पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण खोल देने का विश्वास दिलाया गया।

यह कि वादीगण द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत पटवार हल्का के पास दिनांक 5.10.2020 को गये व जमाबंदी की नकल व नक्शा ट्रेस देने हेतु कहा तो पटवार हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं होकर खातेदारान के नाम पर ही है। इस पर वादीगण द्वारा पटवार हल्का को रजिस्ट्री की प्रतिया दी व उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया, जिस पर पटवार हल्का द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्री के विकेता श्री गणपत सिंह का देहान्त हो गया व उनका विरासत का नामान्तरकरणय उनकी पत्नि के नाम पर दर्ज हो चुका है, इस कारण से नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है।

यह है कि सरहद भूणास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 100 में अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 2499 रकबा 0.53 हे0, आराजी नं0 2500 रकबा 0.43, कुल किता 02 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 एवं प्रतिवादी संख्या 09 के पति श्री गणपत सिंह से दिनांक 14 जुलाई 2020 को [illegible] आधिपत्य में प्राप्त की , जिसके वादीगण उक्त भूमि के मालिक है [illegible] उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 का नाम हटा वादीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है तदनुसार घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:26 IST
Reason: SelfAttested

2.

[signature]
...क कलेक्टर पदेन
...खण्ड अधिकारी
...पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः—143 / 2020 (2020 / 00507)
वाद— अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

अतः सादर प्रार्थना हैं — सरहद भूणास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 100 में अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 2499 रकबा 0.53 हे0, आराजी नं0 2500 रकबा 0.43, कुल किता 02 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 एवं प्रतिवादी संख्या 09 के पति श्री गणपत सिंह से दिनांक 14 जुलाई 2020 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की , जिसके वादीगण उक्त भूमि के मालिक है तथा उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 का नाम हटा वादीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है, तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 सादिर फरमायी जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2020 को पंजियद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई साक्ष्यवादी में वादीगण द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये । साक्ष्य वादी प्रारंभ की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में वादी राजेश कुमार पिता मदनलाल बियाणी निवासी दांथल जिला भीलवाड़ा ने अपने बयान पी.डब्ल्यू — 1 लेखबद्ध करा शपथ—पत्र पेश किया जिस पर A से B पर वादी के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम भूणास की खाता संख्याय 100 पेश की है जो प्रदर्श —1 है। विक्रय पत्र दिनांकि 14.07.2017 की प्रमाणित प्रति पेश ही जो प्रदर्श—02 है। इसी प्रकार वादी रामेश्वर लाल पिता उग्मा जाट निवासी पालड़ी तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा ने अपने बयान पी. डब्ल्यू — 2 लेखबद्ध करा शपथ—पत्र पेश किया जिस पर A से B पर वादी के हस्ताक्षर हैं। तथा शपथ—पत्र बयान में मैंने समस्त तथ्य सही एवं सत्य अंकित किये है।

उक्त प्रकरण पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि सरहद भूणास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 100 में अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 2499 रकबा 0.53 हे0, आराजी नं0 2500 रकबा 0.43, कुल किता 02 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 एवं प्रतिवादी संख्या 09 के पति श्री गणपत सिंह से दिनांक 14 जुलाई 2020 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की , जिसके वादीगण उक्त भूमि के मालिक है तथा उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 का नाम हटा वादीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित करवाना न्यायेचित है। वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। पेरोकार सरकार ने उक्त [illegible] किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहीर की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:26 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों, प्रस्तुत बहस के अवलोकन पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं—

कलेक्टर पदेन
उप अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

3.

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः–143 / 2020 (2020 / 00507)
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को सरहद भूणास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 100 में अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 2499 रकबा 0.53 हे0, आराजी नं0 2500 रकबा 0.43, कुल किता 02 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एंव इसी रकबे अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 4.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 143 / 2020 (2020 / 00507) दर्ज दिनांक 15.10.2020

वाद– अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. राजेश कुमार पुत्र मदन लाल बियाणी जाति महाजन निवासी सदर बाजार, दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रामेश्वर लाल पुत्र उगमा जाट निवासी पालड़ी तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

वादीगण

वनाम

1. अजीत सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2. गजेन्द्रपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती चंद्रकंवर पत्नि ऊंकार सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. प्रियंका पुत्री भगवान सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
5. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नि भगवान सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. ब्रजपाल सिंह पुत्र भगवान सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्रीमती माया कंवर पुत्री भंवर सिंह राजपूत पत्नि श्री कौशल सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल बड्डू तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. श्रीमती सूरज कंवर पत्नि भंवर सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. श्रीमती घीसू कंवर पत्नि गणपत सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा। प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 09.04.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0जैन, एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ---×--- और इस वाद के खर्च लेखे -----×--- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----×------ द्वारा -----×------ को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को सरहद भूणास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज0) में खाता संख्या 100 में अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 2499 रकबा 0.53 हे0, आराजी नं0 2500 रकबा 0.43, कुल किता 02 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एवं इसी रकबे अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner